

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)  
संशोधन आदेश

कमांक / वयू / सी.जे.एम. / 21

जबलपुर, दिनांक 20.10.2021

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03 से 05 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27.09.2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 24.10.2021 को जे.एम.एफ.सी. श्री अमनदीप सिंह छावड़ा की लगाई रिमांड डियूटी निरस्त कर आदेशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम नं. 02 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट कॉलम नं. 03 में वर्णित दिनांक को रिमांड डियूटी निष्पादित करेंगे, शेष आदेश यथावत रहेगा।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक
01	02	03
1	सुश्री संजना मालवीय	24.10.2021



(यशवंत मालवीय)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

**प्रतिलिपि-**

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री .....न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 3- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4- जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



(यशवंत मालवीय)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(YASHWANTRAO MALVIYA)  
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE  
JABALPUR (M.P.)